शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

# नवीन राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 एवम् विकास की राह (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

प्राप्तिः 15.10.2021
स्वीकृतः 25.12.2021

**डॉ० अंचल गुप्ता**
एसोसिऐट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स पी०जी० कॉलेज, मुरादाबाद, (उ०प्र०)
ईमेलः *anchalgupta.gdhg@gmail.com*

**सारांश**

स्वतंत्र देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। इसमें 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिर्वाय शिक्षा एवं शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण व् योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया। परन्तु समय के साथ 1992 में इसमें आवश्यक संशोधन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के साथ साथ अभिभावकों का वित्तीय भार काम करना था। इतने अंतराल के बाद लम्बे समय से वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन की दरकार थी। अब 34 साल के बाद वरिष्ठ शिक्षाविद श्री कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा के बाद सरकार के द्वारा इसका सफलता पूर्वक लागू करना एक सुखद बदलाव जान पड़ता है। नवीन राष्ट्र शिक्षा नीति में ड्राप आउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का महत्व ,व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बल, जबरन विषय पढ़ने की बाध्यता को त्यागकर नम्य नीति को अपनाने सहित अनेक स्वागत योग्य परिवर्तन प्रस्तावित हैं। यधपि यह भी सत्य है कि अभी सफलता पूर्वक इसको लागू किया जाना है। इसलिए बिना भेदभाव के इस नीति को समानता के धरातल पर उतारना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि इस शिक्षा नीति को सफलता पूर्वक लागू किया जाता है तो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन होगा, जो न केवल देश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेगी अपितु राष्ट्र को सुरक्षित व् मजबूत आधारशिला प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

## एक परिचय

आजाद देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। उस समय शिक्षा को अति महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया था। इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा एवम् शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत की संस्कृति और विरासत मानी जाने वाली संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी इस नीति में प्रोत्साहित किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र की विषय वस्तु मुख्य रूप से नवीन शिक्षा नीति के उद्देश्य,विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा नवीन तथा पुरानी शिक्षा नीति के मूल्यांकन पर आधारित है।

इस नीति में शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जन जातीय समुदायों के लिये असमानताओं को दूर करके शैक्षिक अवसरों की बराबरी देने पर विशेष बल प्रदान किया गया था। इसी नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लागू किया गया।

समय परिवर्तन के साथ साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश भर में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा को आयोजित करना था। इसके अन्तर्गत सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर पर जेईई तथा ऐआईईई व राज्य स्तर के संस्थानों के लिए एसएलईईई जैसी प्रवेश परीक्षायें निर्धारित की गई। इन प्रवेश परीक्षाओं के निर्धारण से जहां एक ओर छात्रों का मानसिक व शारीरिक दबाव कम हुआ वहीं दूसरी ओर अभिभावकों के वित्तीय बोझ को कम करने जैसी समस्याओं का समाधान किया।

अब लंबे समय से वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन की दरकार थी। यह भी सच है कि समाज की सभी व्यवस्थाएं समय के अनुसार परिवर्तन की मांग करती हैं। हम पुरानी व्यवस्था के साथ अपनी नवीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असहजता का अनुभव करते हैं। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की लंबे समय से आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। भारत के विश्व गुरु बनने के लिए व भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा शिक्षा नीति में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता थी।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**

भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति विकास की ओर अग्रसर भारत की झलक है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय सरकार के द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोशणा के साथ ही लगभग साढ़े तीन दशक के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुखद बदलाव का बिगुल बजा है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। वर्तमान सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी इसके लिए टीएसआर सुब्रहमण्यम समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति ने मई, 2019 में शिक्षा नीति की रिपोर्ट का खाका केंद्र सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। इसमें सुधारवश सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद् और जेएनयू के पूर्व चांसलर के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने नवीन शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया, तथा इसमें सरकार ने सार्वजनिक रूप से शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों सहित आम लोगों से भी सुझाव मांगे। तत्पश्चात नवीन शिक्षा नीति प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को और अधिक समग्र व लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। नवीन शिक्षा नीति 2020 नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन

विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 6 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बिंदू** यूं तो नवीन शिक्षा नीति में बहुत सारी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है परन्तु कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

- **ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में लाना** स्कूल से दूर तथा ड्रॉप आउट दो करोड़ बच्चों को दोबारा से मुख्य धारा में लाने की योजना है। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है।

- **अवधारणात्मक समझ पर बल** अभी तक की भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करे तो यह प्रणाली 10़2 प्रारूप पर चलती थी परन्तु अब इसे 5़3़4 के प्रारूप पर तैयार किया गया है। इसमें स्कूल के पहले पांच वर्श बच्चे के मानसिक विकास पर बल देने का महत्वपूर्ण चरण की स्वीकारोक्ति के साथ पढ़ाई के बोझ को कम करने का प्रयास प्रशंसनीय है। बच्चे को बोझिल बस्ते तथा रटने वाले पाठ्यक्रम के भार को कम करके खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर बल दिया गया है। जिसकी मांग बच्चों के लिए लंबे समय से होती रही हैं। इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक नवीन पाठ्यक्रम तय्यार किया जाएगा। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने की भी योजना है।

- **पारिवारिक संवाद की भाषा का महत्व** अब बढ़ गया है। विशेष बात यह है कि पांचवीं तक की पढ़ाई बच्चा अपनी स्थानीय अथवा मात्र भाषा में पढ़ सकेगा। अंग्रेजी मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। यह सच भी है कि अब तक हमारी घर में बोलचाल की और पढ़ाई की भाषा बिल्कुल भिन्न होती थी, यदि वह मात्र भाषा में पढ़ेगा तो रटने के बजाय समझने की प्रवृत्ति विस्तारित होगी। अर्थात यह पद्धति जबरन अंकों के दबाव के लिए रटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी।

- **व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बल** कक्षा 6–8 में बच्चे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इस शिक्षा में व्यवसायिक प्रशिक्षण को शामिल करके इस समय छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसी समय वे कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे तथा उन्हें अपनी रुचि से जुड़े व्यवसायिक संस्थानों में प्रशिक्षण का अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रकार पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान उनके कौशल और हुनर को बढ़ाने में उनकी मदद करेगा।

- **जबरन विषय पढ़ने की बाध्यता का अंत** शिक्षा नीति में छात्रों को ये स्वतंत्रता भी होगी कि अगर वह कोई भी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो पहले कोर्स से एक निश्चित अंतराल तक ब्रेक लेकर कोई भी दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब छात्र छात्राएं अपनी पसंद के विषय पढ सकेंगे, जबरन अपने वर्ग (स्ट्रीम) के विषयों को पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। यदि वे विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो साथ में कला एवम् वाणिज्य विषयों का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह सुविधा पुरानी पद्धति में

उपलब्ध नहीं थी बल्कि छात्र छात्राएं एक बार विषय का चयन कर लेने पर उसमें रुचि एवम् गति का भाव न होने पर भी पढ़ने को मजबूर होते थे परन्तु अब इस बाद्यता का अंत होने जा रहा है।

- **सेमेस्टर पद्धति** 9–12वी तक की परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होंगी। सेमेस्टर पद्धति में कुछ दिनों में रट कर अच्छे अंक लाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा अपितु पूरे वर्ष के अंकों को जोड़कर अंतिम परिणाम घोषित होगा अर्थात पूरे वर्ष ध्यान से समझ कर पढ़ना होगा।
- **परिणाम की नवीन पद्धति** परिणाम 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर होगा अर्थात छात्र स्वय का विश्लेषण करेगा, उसके सहपाठी भी उसका आंकलन करेंगे तथा शिक्षक पढ़ाई तथा इन आधारों पर उसको अंक प्रदान करेंगे।
- **नम्य नीति** उच्च शिक्षा में भी कॉमन एडमिशन टेस्ट के आधार पर छात्रों के दाखिले होंगे। उच्च शिक्षा के तहत बहुसंख्यक प्रवेश तथा निकास व्यवस्था के अंतर्गत एक बार किसी कोर्स में प्रवेश के उपरांत किसी कारणवश यदि छात्र एक वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ता है उसको एक वर्ष की पढ़ाई पर प्रमाणपत्र, दो वर्ष पर डिप्लोमा तथा तीन व चार वर्ष उपरांत डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये स्वतंत्रता भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक अवकाश ले सकते हैं और दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
- **उपयोगिता के आधार पर पढ़ाई को वरीयता** प्रदान की जाएगी। शोध करने वाले छात्रों के लिए चार साल का डिग्री कार्यक्रम होगा। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही डिग्री कोर्स करेंगे। लेकिन जो छात्र शोध में रुचि रखते हैं, वे एक साल के परास्नातक के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उनके लिए एमफिल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। विभिन्न छात्रों व अध्यापकों का मानना है कि पीएचडी कोर्स वर्क पूर्व व्यवस्था में सभी स्थानों पर समान है तथा एमफिल कि अलग से न तो कोई मान्यता है न ही उपयोगिता। अतः इसको समाप्त करना समय, धन व संसाधनों की बचत के रूप में देखना सरकार का एक सराहनीय कदम है।
- **राष्ट्रीय शोध संस्थान का निर्माण** अब विदेशों की तर्ज पर किया जाएगा। जो शोध कार्यों के अनुदान के लिए कला, विज्ञान तथा वाणिज्य समेत सभी विषयों के शोध कार्यों को प्रायोजित करेंगे। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्र शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। सरकार के इस प्रोत्साहन से शोध के क्षेत्र में छात्रों का रुझान बढ़ेगा।
- **शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने पर बल** दिया जाएगा जो शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की तयारी के साथ ही उनकी पदोन्नति भी उनका काम तथा योग्यता देख कर की जाएगी जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करेगी।

**समाजशास्त्रीय विश्लेषण**

कहने की आवश्यकता नहीं कि समाज को नियोजित तरीके से चलाने के लिए जिस कुशल

मानव शक्ति की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं में ही होता है। राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक समृद्धि व सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। साथ ही सशक्त, कुशल व सतर्क नेतृत्व, ग्राहीय तथा उत्तम व्यक्तित्व भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और निसंदेह ये सभी शिक्षा की देन हैं। वर्तमान शिक्षा नीति का निर्धारण भी विभिन्न समितियों, विभागों, विशेषज्ञों, अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा अनुभवी नीति निर्माताओं के साथ विचार विमर्श व गहन मंथन के बाद किया गया है। उसके बाद ही संभवतया सकारात्मक व असरदार परिणाम वाली शिक्षा नीति हमारे सम्मुख आयी है। यह भी सत्य है कि सदैव से ही शिक्षा से प्रत्येक वर्ग की अपेक्षएं जुड़ी रहती हैं। नवीन शिक्षा नीति निश्चित रूप से इन सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। यह बच्चों में गुणवत्ता से भरपूर कौशल सिखाने वाली सिद्ध होगी। सबसे आवश्यक जहां बच्चों को अबोध बचपन में खेलने कूदने के बजाय भारी भरकम बस्तों तथा पाठ्यक्रम के बोझ तले लाद दिया जाता था। अंग्रेजी में प्रतिवर्ष रटकर पास होने से उनका बौद्धिक विकास प्रभावित होता था। परिवर्तन की इस प्रणाली से बस्ते का बोझ कम करने वाली अभिभावकों की लंबित मांग पूरी होगी। अपनी मात्र अथवा स्थानीय भाषा में बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर समझ कर आगे बढ़ेंगे न की रट कर। प्रारम्भ के वर्षों में पढ़ाई का बोझ न झेलकर बच्चे खेलों में रुचि लेंगे जिनसे उनका नाता टूट चुका था। कक्षा छह से ही व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को प्राथमिकता के द्वारा नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर है कि जो भी छात्र 12वीं तक के प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है, उसके पास कम से कम एक हुनर अवश्य हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह इससे अपना रोजगार कर सके। इसके लिए सभी स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और छात्र स्थानीय प्रतिष्ठानों में जाकर भी अपने मन का कोई भी हुनर सीख सकेंगे। नवीन शिक्षा नीति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषतायें छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार विषयों के चयन का अधिकार, पूरे वर्ष मेहनत करना, अंकों के तनाव से मुक्ति आदि अत्यन्त सराहनीय निर्णय हैं। शिक्षा नीति के ये परिवर्तन बहुप्रतीक्षित भी है जिनकी प्रतीक्षा देश के विद्यार्थी व अभिभावक लंबे समय से कर रहे थे। जो व्यवहारिक रूप में सफलतापूर्वक लागू होने पर भारतीय शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे।

नवीन शिक्षा नीति 21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित ही होगी यद्धपि यह कहना अभी अति शीघ्रता होगी क्युकी सुनने में यह अत्यन्त लुभावनी, सरल, ग्राहय एवम् प्रभावी लग रही है परन्तु इसकी गुणवत्ता का आंकलन तभी होगा जब यह बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण देश पर लागू होगी। नवीन शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक शत प्रतिशत युवा व प्रोढ़ शिक्षा साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन वहां पहुंचने तक इस शिक्षा नीति को अभी कई इम्तहान पास करने होंगे। सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारे देश में दूरदराज गावों में स्कूलों के भवन जर्जर तथा खस्ताहाल होने के साथ साथ वहां पानी तथा शौच व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर शिक्षकों का सर्वथा अभाव रहता है। इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यद्धपि सरकार के द्वारा शिक्षा बजट को जीडीपी का छ प्रतिशत रखने कि घोषणा की गई है। परन्तु इसे वास्तविकता के धरातल पर उतरना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

नई शिक्षा नीति में कला, खेल और व्यवसायिक शिल्प से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां जो पूरे वर्ष छात्रों को भारी भरकम गृहकार्य व बस्ता रहित रखने पर बल देती दिखाई दे रही है वो बिना

भेदभाव के गांव के स्कूलों पर कैसे लागू होंगी और वो परिवर्तित पाठ्यक्रम की पुस्तकें सभी छोटे बड़े स्कूलों तक समानता से पहुंच पाएगी यह भी यक्ष प्रश्न के समान है।।

बच्चो के प्राथमिक स्तर पर मात्र भाषा तथा स्थानीय भाषा में पढ़ाई करना व कराना सुखद और अच्छी बात है परन्तु आगे कि कक्षाओं में जब उसे सब विषय अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे तो किस स्तर तक बच्चा समझ पाएगा। मातृभाषा के संबंध मे शिक्षा से जुड़े लोगों व अभिभावकों का प्रश्न बहुत अनुकूल है कि जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं को पास कर आगे बढ़ेगा और आगे की कक्षाओं में उसको हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में विषयों को पढ़ाया जाने लगेगा, तब वह उसे कितना सही ढंग से समझ पाएंगे या उच्च कक्षाओं में वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के छात्रों से प्रतियोगिता करने में किस प्रकार समर्थ हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि क्या स्थानीय या मातृभाषा माध्यम में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री सभी को एक समान उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही दिल्ली, मुंबई तथा अन्य महानगरों के पब्लिक स्कूलों पर समान पाठ्यक्रम बिना किसी भेदभाव के लागू करना एक बड़ी चुनौती होगा क्युकी इसके लिए उन स्कूलों को पूर्णतया अपनी पद्धति में बदलाव करने होंग और यदि ऐसा नहीं होता तो शिक्षा में असमानता और अधिक बढ़ेगी। शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के न्यायसंगत तरीके से कार्यान्वयन करने हेतु राज्य सरकारों को साथ में आकर लचीलेपन का रवय्या अपनाकर स्वीकार करने की आवश्यकता है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले का मार्ग खोल दिया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों व विशेषज्ञों का दावा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने के आसार है परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना असुविधापूर्ण हो सकता है। वर्तमान में विशेषतया प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वन में समस्या पैदा हो सकती है।

अंत में कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि सफलतापूर्वक व न्याय संगत तरीके से इसको पूर्णतया लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से यह नीति इक्कीसवीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। लगभग 35 वर्षों बाद नवीन जीवन के अनुकूल शिक्षा प्रणाली आ रही है जो ऐसे छात्रों का निर्माण करने में सक्षम होगी जो न केवल भारत की संस्कृति एवम् जड़ों से जुड़े रहें बल्कि आधुनिकता के साथ भी कदम से कदम मिलाए। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा एक और महत्वपूर्ण कदम होने के साथ एक नियोजित तथा सकारात्मक परिवर्तन भी सिद्ध होगी। यह कदापि सत्य भी है कि परिवर्तन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि सकारात्मक हो तो आनंद का विषय होता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी लगभग कोई 35 सालों बाद परिवर्तन आया है। इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके साथ न केवल लक्ष्य अपितु लक्ष्य तक पहुंचने के साधन भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसके पूर्णतया लागू करने के पूर्व बहुमूल्य सुझावों के द्वारा प्राप्त इसमें आ रहे अवरोधों को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नीति निर्देशकों, विषय विशेषज्ञों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों को मिलकर इसकी दुविधाओं को समय रहते सरकार के साथ तालमेल बनाते हुए दूर करने के आवश्यक प्रयास अपेक्षित है। ताकि जिन उद्देश्यों कि पूर्ति के लिए इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, यह सफलतापूर्वक उनकी पूर्ति

करने में सक्षम व मददगार साबित हो सके। यह न केवल इक्कीसवीं शताब्दी के भारत की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में मददगार होगी अपितु देश के भावी कर्णधारों को भी आत्मनिर्भर बनाने मै एक नियोजित व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

**सन्दर्भ सूची**

1. महात्मा गाँधी (1924) ''बालपोथी'' राष्ट्र पुस्तक न्यास भारत
2. मीना स्वामीनाथन ''खेल खेल में बच्चों का विकास'' राष्ट्र पुस्तक न्यास भारत
3. प्रेम प्रकाश (2018) ''शिक्षा, परीक्षा और प्रधानमन्त्री'' अनुज्ञा बुक्स दिल्ली
4. ''नयी शिक्षा नीति : पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट में बड़े बदलाव'' सामचार पत्र ,आज तक , 30 जुलाई 2020
5. ''नयी शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था'' सामचार पत्र ,आज तक , 31 जुलाई 2020
6. ''नयी शिक्षा नीति'' सामचार पत्र, नवभारत टाइम्स 31 जुलाई 2020